भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3625

सोमवार, 11 अगस्त, 2025/ 20 श्रावण, 1947, (शक)

अप्रयुक्त कर्मचारी भविष्य निधि

3625. श्री मालविंदर सिंह कंग:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी भविष्य निधि की एक बड़ी राशि विवादित होने के कारण अप्रयुक्त है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त निधि में कुल जमा राशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान निधि में जमा की गई औसत वार्षिक राशि वर्ष-वार कितनी है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन किसी भी राशि को 'विवादित राशि' के रूप में वर्गीकृत नहीं करता है। 31-03-2024 तक की स्थिति के अनुसार, कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 का कुल कॉर्पस 15,58,998.63 करोड़ रुपये (अ-लेखापरीक्षित) है।

पिछले तीन वर्षों में कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 में वर्षवार अंशदान की जमाराशि निम्नानुसार है:-

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	राशि
2021-22	1,62,980.21
2022-23	1,91,116.66
2023-24*	2,10,836.11

*अ-लेखापरीक्षित

वर्ष 2024-25 के लिए लेखाओं को संकलित नहीं किया गया है।

तीन वर्षों का औसत 1,88,310.99 करोड़ रुपये है।

*****